राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 14.03.2016 को सूडा सभागार में अपराह्न 04:00 बजे आयोजित ''दसवीं'' बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री विशाल भारद्वाज, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. श्री सुभाष चन्द्र, अनुसचिव, वित्त विभाग।
5. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री शशि कान्त शुक्ला, अनुसचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक हडको, लखनऊ।
8. डा0 अरूण कुमार राणा, सहायक महाप्रबन्धक, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
9. अजन्ता देवी, वरिष्ठ शोध अधिकारी, नियोजन विभाग, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
10. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
11. श्री आर0एन0 पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
12. श्री हरीराम, अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
13. श्री ए0एम0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
15. श्री एस0एन0 सिंह, जूनियर इंजीनियर, डूडा–गाजियाबाद।
16. श्री निहाल सिंह, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0–यूनिट–31, गाजियाबाद।
17. श्री राम सिंह, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0– यूनिट–23, इटावा।
18. श्री मिथिलेश अवस्थी, परियोजना अधिकारी, डूडा–इटावा।
19. श्री अजय शुक्ला, परियोजना अधिकारी, डूडा– सुलतानपुर।
20. श्री एम0पी0 सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा– जौनपुर।
21. श्री शशांक सोनकर, असिस्टेन्ट, आर्किटेक्ट, विज़न आर्किटेक्ट, गोमती नगर, लखनऊ।
22. डॉ बी0एस0 अरोड़ा, सीनियर एडवाइजर, एन0एच0एम0 उ0प्र0।
23. श्री राज कुमार द्विवेदी, सिटी मिशन मैनजर, डूडा– इलाहाबाद।
24. श्री अनुराग द्विवेदी, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा– मिर्जापुर।
25. श्री रवि कान्त यादव, कन्सलटेंन्ट।
26. श्री बृज मोहन वर्मा, सी0एण्ड डी0एस0, सोनभद्र।
27. श्री ए0के0 सिंह, वरि0 स्थानीय अभियन्ता, सी0एण्ड डी0एस0– यूनिट–24, वाराणसी।
28. डॉ राजेश राय, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा– चन्दौली।
29. श्री देवेश मणि त्रिपाठी, आर्किटेक्ट।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–1 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की नवीं बैठक दि0 02.02.16 की पुष्टि।

परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि ''शहरी बेघरों के लिए आश्रय'' योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में गहन समीक्षा की जा रही है। प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत इस योजना पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन हो सके तथा शहरी बेघरों को आधारभूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। समिति को गत बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति सम्बन्धी जानकारी दी गयी।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए गत बैठक दिनांक 02.02.2016 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

एजेन्डा बिन्दु सं0–2 योजनान्तर्गत आश्रय गृहों के निर्माण और संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार ।

समिति द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. **मिर्जापुर** – नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के विन्ध्यांचल में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 50 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+ 1)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 807.94 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 132.98 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 43.92 लाख
	योग	– **176.90 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित शेल्टर होम 50 व्यक्तियों की क्षमता का है अतः संचालन और अनुरक्षण व्यय (5 वर्षों के लिए) रू0 30.00 लाख रखी जाय। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 132.98 लाख + 30.00 लाख = रू0 162.98 लाख की स्वीकृति पर विचार विमर्श किया गया। डी0पी0आर0 में स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है। मिर्जापुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट के पश्चात आश्रय गृह के निर्माण की लागत में वृद्धि सम्भावित है। डी0पी0आर0 में उसकी Summary भी नहीं लगी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट तैयार कराकर तदनुसार प्रस्ताव, डी0पी0आर0 की Summary के साथ अगली

बैठक में प्रस्तुत किया जाय। शेल्टर होम में सोलर बैकअप का भी प्राविधान किया जाय।

2. **सुलतानपुर** –नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण सुलतानपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 50 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+2)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 597.79 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 143.27 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 29.94 लाख
	योग	– **173.21 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। पाया गया कि इस डी0पी0आर0 में External site development works हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 3.44 लाख का प्राविधान औचित्यपूर्ण नहीं है। इसकी कटौती कर सोलर बैकअप हेतु रू0 9.10 लाख का प्राविधान किया जाये। तदनुसार निर्माण लागत रू0 149.27 लाख, अनुरक्षण व्यय रू0 29.94 लाख, कुल धनराशि रू0 179.21 लाख हुई। आगणन पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयीः–

(क) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।**

(ख) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 143.27 लाख तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त होने के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% धनराशि के उपभोग की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

(ग) **शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।**

(घ) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही निर्मित किये जाने वाले भवन एवं वहां उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत रूपरेखा के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। तदुपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।**

(ड़) **शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

(च) **प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।**

3. **जौनपुर** – नगर पालिका परिषद जौनपुर में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण जौनपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 100 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+2)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 1396.36 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 300.18 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 59.94 लाख
	योग	– **360.12 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। पाया गया कि इस डी0पी0आर0 में External site development works हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 3.44 लाख का प्राविधान औचित्यपूर्ण नहीं है। इसकी कटौती कर सोलर बैकअप हेतु रू0 9.10 लाख का प्राविधान किया जाये। तदनुसार निर्माण लागत रू0 305.98 लाख, अनुरक्षण व्यय रू0 59.94 लाख, कुल धनराशि रू0 365.92 लाख की स्वीकृति प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयीः–

(क) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ख) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 305.98 लाख तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त होने के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% धनराशि के उपभोग की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त की जायेगी।

(ग) शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(घ) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही निर्मित किये जाने वाले भवन एवं वहां उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत रूपरेखा के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। तदुपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।

(ड़) शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।

4. **इलाहाबाद** – नगर निगम इलाहाबाद में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 80 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+2)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 966.45 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	–	195.42 लाख
2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	–	60.00 लाख
योग	–	**255.42 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। उक्तानुसार निर्माण लागत रू0 195.42 लाख, अनुरक्षण व्यय रू0 60.00 लाख, कुल धनराशि रू0 255.42 लाख की स्वीकृति प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयीः–

(क) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।**

(ख) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 195.42 लाख तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त होने के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% धनराशि के उपभोग की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।**

(ग) **शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।**

(घ) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही निर्मित किये जाने वाले भवन एवं वहां उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत रूपरेखा के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। तदुपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।**

(ड़) **शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर**

निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।

5– चन्दौली – नगर पालिका परिषद– चन्दौली में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण चन्दौली द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 42 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+2)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 648.00 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 204.67 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 29.94 लाख
	योग	– **234.61 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया।

नगर पंचायत चन्दौली की सीमा में स्थित ग्राम हारूपुर की आराजी नं0–77 और 81 जिस पर शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित है, राजस्व अभिलेखों में क्रमशः खलिहान और बावली अंकित है। भूमि सड़क से लगभग 14 फुट गहरी है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस स्थल पर शेल्टर होम का निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर तदनुसार आश्रय गृह के निर्माण की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाये।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–3 – अन्य विषय– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य विषय के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1– इटावा –

नगर पालिका परिषद इटावा में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण इटावा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 100 व्यक्ति

(ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+3)

(iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 1454.94 वर्गमीटर

(iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 362.01 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 30.00 लाख
	योग	– **392.01 लाख**

समिति द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव में सोलर बैकअप का प्राविधान करने तथा कतिपय मदों में संशोधन के फलस्वरूप निर्माण लागत 360.95 लाख तथा अनुरक्षण व्यय (05 वर्षों के लिए) रू0 60.00 लाख कुल योग रू0 420.95 लाख का इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयीः–

(क) **योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।**

(ख) **निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 360.95 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।**

(ग) **संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।**

(घ) **शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।**

(ड़) **शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

(च) **प्रस्तावित डी0पी0आर0 में स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है। बताया गया कि यहां पर ड्रेनेज के निर्माणाधीन होने पर नाले का पानी भर गया है, जिससे वर्तमान में स्वाइल टेस्टिंग सम्भव नहीं है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि स्वाइल टेस्टिंग शीघ्र ही करा लिया जायेगा। स्वाइल टेस्ट के बाद मूल्य वृद्धि में कोई सम्भावना नहीं है। अतः प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा लागत मूल्य में परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।**

2– गाजियाबाद – सुदामापुरी

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 19.12.2014 के कार्यवृत्त संख्या 3753/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा गाजियाबाद के डूडा हेडा हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 152.15 लाख (निर्माण लागत रू0 122.21 लाख एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.94 लाख) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 48.884 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। आश्रय गृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, परन्तु स्थानीय स्थल विवाद के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। नगर आयुक्त, नगर निगम/परियोजना निदेशक गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शेल्टर होम के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध न होने के कारण नगर निगम–गाजियाबाद द्वारा सुदामापुरी, विजय नगर जोन में भूमि उपलब्ध करायी गयी है। सुदामापुरी, विजय नगर जोन में वैकल्पिक स्थल प्राप्त होने के पश्चात उस स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वहां पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और संशोधित डी0पी0आर0 लागत रू0 274.84 लाख (निर्माण लागत रू0 214.84 लाख एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 60.00 लाख) प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

धनराशि रू0 लाख में

क्र. सं.	पूर्व स्वीकृति का विवरण				संशोधित प्रस्ताव			संशोधन का कारण
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण लागत	O& M	कुल लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3753/241/NULM /तीन 2001 (SUH) दिनांक 05.01.2015 (बैठक तिथि) 19.12.14	122.21	29.94	152.15	214.84	60.00	274.84	प्रस्तावित स्थल पर स्थानीय विवाद के कारण जिला प्रशासन द्वारा नवीन कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उपरान्त डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन के कारण।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा जानकारी चाही गई कि प्रश्नगत प्रकरण में नये स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति तत्समय सक्षम स्तर से किन परिस्थतियों में नहीं ली गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि नये स्थल पर अतिक्रमण की संभावनायें अत्यधिक थी और कोई विवाद उत्पन्न न हो। इसलिए कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया गया। उपरोक्त के आधार पर वर्णित परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृत परियोजना में लागत वृद्वि के फलस्वरूप एतद् सम्बन्धी पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए उक्तानुसार

वैकल्पिक स्थल पर संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयीः–

(क) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ख) निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 214.84 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ग) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़) शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा लागत मूल्य में परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) आश्रय गृह निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का समायोजन वर्तमान डी0पी0आर0 में स्वीकृत धनराशि से कर लिया जाये।

(ज) मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन–सूडा, अधिशासी अभियन्ता–सूडा के साथ विषयगत आश्रय गृह के साथ ही जनपद –गाजियाबाद में निर्माणाधीन समस्त आश्रय गृहों का निरीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3–गाजियाबाद– अर्थला, मोहन नगर जोन

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 19.12.2014 के कार्यवृत्त संख्या 3753/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा गाजियाबाद के डूडा हेडा हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 172.81 (निर्माण लागत रू0 142.87 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.94 लाख) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 57.148 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सन्दर्भित आश्रय गृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, परन्तु स्थानीय स्थल विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके। नगर आयुक्त, नगर निगम/परियोजना निदेशक गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शेल्टर होम के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध न होने के कारण नगर निगम–गाजियाबाद द्वारा अर्थला, मोहन नगर जोन में भूमि उपलब्ध करायी गयी है। अर्थला मोहन नगर जोन में वैकल्पिक स्थल प्राप्त होने के पश्चात उस स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वहां पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और संशोधित डी0पी0आर0 लागत रू0 275.66 लाख (निर्माण लागत रू0 215.66 लाख एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 60.00 लाख) प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	पूर्व स्वीकृति का विवरण				संशोधित प्रस्ताव			संशोधन का कारण
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण लागत	O& M	कुल लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3753/241/NULM /तीन 2001 (SUH) दिनांक 05.01.2015 (बैठक तिथि) 19.12.14	142.87	29.94	172.81	215.66	60.00	275.66	प्रस्तावित स्थल पर स्थानीय विवाद के कारण जिला प्रशासन द्वारा नवीन कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उपरान्त डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन के कारण।

राज्य परियोजना स्वीकृत समिति द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गई कि प्रश्नगत पृकरण में नये स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति तत्समय सक्षम स्तर से किन परिस्थतियों में नहीं ली गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि नये स्थल पर अतिक्रमण की संभावनायें अत्यधिक थी और कोई विवाद उत्पन्न न हो। इसलिये कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया गया। उपरोक्त के आधार पर वर्णित परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृत परियोजना में लागत वृद्वि के फलस्वरूप एतद् सम्बन्धी पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए उक्तानुसार वैकल्पिक स्थल पर संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी:–

(क) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ख) निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 215.66 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ग) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ड़) शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा लागत मूल्य में परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) आश्रय गृह निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का समायोजन वर्तमान डी0पी0आर0 में स्वीकृत धनराशि से कर लिया जाये।

(ज) मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन–सूडा, अधिशासी अभियन्ता–सूडा के साथ विषयगत आश्रय गृह के साथ ही जनपद –गाजियाबाद में निर्माणाधीन समस्त आश्रय गृहों का निरीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– गाजियाबाद– मकनपुर वसुंधरा

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 19.12.2014 के कार्यवृत्त संख्या 3753/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा गाजियाबाद के मकनपुर हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 168.77 (निर्माण लागत रू0 138.83 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.94 लाख) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 55.532 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। परियोजना निदेशक, डूडा–गाजियाबाद के पत्र सं0– 255/डूडा/प्राक्कलन/2015–16 दिनांक 19.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के उपघटक शहरी शेल्टर होम/आश्रय योजनान्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत मकनपुर में शेल्टर होम के निर्माण हेतु प्राक्कलन डूडा कार्यालय पत्रांक 329 दिनांक 26.11.2014 के द्वारा प्रेषित किये गये थे। स्वीकृति उपरान्त प्रस्तावित स्थल विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

परियोजना निदेशक डूडा– गाजियाबाद के पत्र सं0– 255/डूडा/प्राक्कलन/2015–16 दिनांक 19.02.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम इकाई गाजियाबाद के पत्रांक 305/कार्य–36/109 दिनांक 31.07.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा मकनपुर शेल्टर होम के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि क्रमशः खसरा संख्या 1545 निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पुनः मकनपुर खसरा संख्या 1545 के स्थान पर इसी राजस्व ग्राम मकनपुर नगर निगम द्वारा संचालित बालिका हायर सेकेण्ड्री विद्यालय में से 22X30 मीटर भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट 31 गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0सू0एल0एम0) के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अर्न्गत नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत आश्रय/रैन बसेरा (शेल्टर होम) के निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव तेयार किया गया है। वैकल्पिक स्थल प्राप्त होने के उपरान्त **संशोधित आगणन का विवरण निम्नवत है:–**

क्र. सं.	पूर्व स्वीकृति का विवरण				संशोधित प्रस्ताव			संशोधन का कारण
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण लागत	O& M	कुल लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3753/241/NULM /तीन 2001 (SUH) दिनांक 05.01.2015 (बैठक तिथि) 19.12.14	138.83	29.94	168.77	201.30	60.00	261.30	भूमि अपेक्षाकृत नीची होने के कारण मिट्टी का भराव।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया और पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धी डी0पी0आर0 को पूर्व की स्वीकृति में अंकित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी:–

(क) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ख) निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 201.65 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ग) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ड़) शेल्टर होम के 5 वर्षों और उसके उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आगणन में कोई परिवर्तन अथवा लागत मूल्य में परिवर्धन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) आश्रय गृह निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का समायोजन वर्तमान डी0पी0आर0 में स्वीकृत धनराशि से कर लिया जाये।

(ज) मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन–सूडा, अधिशासी अभियन्ता–सूडा के साथ विषयगत आश्रय गृह के साथ ही जनपद –गाजियाबाद में निर्माणाधीन समस्त आश्रय गृहों का निरीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।
3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड लाइन में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में किया जाये।
6. हडको प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देश दिये गये कि संचालन व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि का विस्तृत ब्रेकअप गाइडलाइन के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त तत्काल उपलब्ध कराया जाये।
7. निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले डी0पी0आर0 में विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।
8. निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
9. निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन के ऊपर शौचालय निर्मित न किया जाये, साथ ही प्रस्तावित किचेन में वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
10. गाइडलाइन के अनुसार आश्रय गृह संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आश्रय व्यवस्था प्रबन्धन समिति (Shelter Management Committee) का गठन, अपेक्षित स्टाफ की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

11. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एव प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।
13. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
14. स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
16. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा। साथ ही समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

21/3/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक–262/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक–22.03.2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– मिर्जापुर, सुलतानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, चन्दौली, इटावा एवं गाजियाबाद।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद एवं गाजियाबाद।

13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद– मिर्जापुर, सुलतानपुर, जौनपुर, इटावा एवं नगर पंचायत–चन्दौली।
14. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– मिर्जापुर, सुलतानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, चन्दौली, इटावा एवं गाजियाबाद।
15. परियोजना अधिकारी, डूडा मिर्जापुर, सुलतानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, चन्दौली, इटावा एवं गाजियाबाद।
16. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक